न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 727 / 2023

अनवान : –

1. मुकेश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भूपसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. धापा पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. रेखा पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. कविता पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
7. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 06/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 42 / 42 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के तथा रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 57 / 55 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 4 / 9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि दादालाई भूमि है जिसमें वादी का प्रतिवादी स0 1 ता 2 के साथ जन्मजाता हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का पिता है का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी स0 1 के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 है जो की प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि भी पैतृक है इसलिए वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 5 का प्रतिवादी स0 2 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। अत प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 5 को प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 2 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण [illegible] दी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में द[illegible] कल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इस[illegible] या गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब इकबाल इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 57/55 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 4/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 42/42 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी स0 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी स0 3 का नाम सुनिल के स्थान पर सुनिता दर्ज किया जावे।

वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र भूपसिंह पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब इकबाल के मुताबिक यानि की रोही मौजा 12 जेएसएन की भूमि जो की प्रतिवादी स0 1 के नाम है प्रतिवादी स0 1 का देहान्त हो चुका है एवं प्रतिवादी स0 1 के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 है के नाम दर्ज की जावे एवं प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें से प्रतिवादी स0 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 5 के नाम दर्ज की जावे। वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता [illegible]/42 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 [illegible] तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 57/55 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 4/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब इकबाल के मुताबिक यानि की रोही मौजा 12 जेएसएन् की भूमि जो की प्रतिवादी स0 1 के नाम है प्रतिवादी स0 1 का देहान्त हो चुका है एवं प्रतिवादी स0 1 के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 है के नाम दर्ज की जावे एवं प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें से प्रतिवादी स0 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 5 के नाम दर्ज की जावे, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 57/55 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 4/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 42/42 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:54 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 727/2023

अनवान : –

1. मुकेश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भूपसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. धापा पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. रेखा पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. कविता पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
7. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 727 सन 2023 निर्णय दिनांक 06/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 57/55 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 4/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 42/42 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:54 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर